pan>

Title: Introduction of the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of Section 2).

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006."

The motion was adopted.

श्री विष्णु दयाल रामः मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।